

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 207/सतर्कता-2/वि. जा. /2015

ग्वालियर, दिनांक 11-3-2015

प्रति,

कलेक्टर  
जिला-समस्त  
मध्यप्रदेश ।

विषय :- पटवारियों की शिकायतों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने विषयक ।

निम्नलिखित प्रकरण में लेख है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में पटवारियों की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी अथवा आपके द्वारा बिना नोटिस दिये या बिना संबंधित को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निलंबित कर दिया जाता है । अर्थात् उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता ।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों में वर्गीकरण नियमों के अन्तर्गत एवं संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंध का पालन करने का कष्ट करें ।



उप आयुक्त  
वास्तु आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त  
मध्यप्रदेश